

2019/00323

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - भदोसर जिला चित्तौडगढ

शंकरलाल वगैर

| वनाम ||

रामा वगैर

किरम मुकदमा 128 एल.आर.ए.

नम्बर.

67 / 2019 सन्

तारीख हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
२५/५/२०१९	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रईस मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजीयात मौजा चूनाखेडा पटवार हल्का गरदाना में स्थित की खाता संख्या 27 में अंकित आराजी नम्बर 43 रकबा 0.4900 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमावन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे ।</p> <p>प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदोसर को 2000/- अक्षरे दो हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा चूनाखेडा पटवार हल्का गरदाना में स्थित की खाता संख्या 27 में अंकित आराजी नम्बर 43 रकबा 0.4900 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की वाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुवमनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी भदोसर</p>	